न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ(राज.)

पीठासीन अधिकारी :–विकास पंचोली(R.A.S.)

प्रकरण संख्या 144/2018
जीसीएमएस न0 2018/00484

1. मु. अणछीबाई वेवा मांगीलाल जी सालवी (बलाई) निवासी लसड़ावन तहसील निम्बाहेड़ा।

............प्रार्थी

बनाम

1. राज० सरकार जरिये तहसीलदार सा० निम्बाहेडा राज०

............विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1– श्री रामचंद्र धाकड–अधिवक्ता प्रार्थी
2– पेरोकार सरकार–स्वयं उपस्थित

:: निर्णय :: दिनांक 02.08.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया किप्रार्थीया के स्वामित्व आधिपत्य तथा खातेदारी की आराजियात वाके मौजा लसडावन पटवार हल्का लसड़ावन तहसील निम्बाहेडा में खाता संख्या 505 के आराजी नंबर 37 रकवा 0.4300 हैक्टेयर स्थित है।

2. प्रार्थीया के स्वामित्व आधिपत्य तथा खातेदारी की आराजियात वाके मौजा लसडावन पटवार हल्का लसडावन ताहसील निम्बाहेडा में मुल साबिक आ० न० 58 में से सम्वत् 2043 से 46 में 2 विघा आराजी ऐलाटमेन्ट हुई जो साबिक आ० न० 58/5 रकवा 2 विघा जिसके नवीन आराजी नम्बर 37 रकवा 0.4300 हेक्टेयर वाके स्थित है। अभी हाल ही में नई पेमाईश के समय से साबिक आराजी न० के नवीन आ० न० दर्ज राजस्व रेकार्ड हुए है। जो साबिक आराजियात ऐलाटमेन्ट की जाकर मौके पर कब्जा खास सुपुर्द किया गया था वहीं पर पुर्व में ऐलोटी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा था। जहाँ ऐलोटी को कब्जा सिपुर्द किया गया वहाँ से दक्षिण दिशा में कुछ दुरी पर लसडावन से भदेसर का मुख्य रास्ता आता जाता था जो मौके पर अभी भी है। उसके उत्तर दिशा में आराजी है। जिनकी लम्बाई पुर्व से पश्चिम है। लेकिन नक्शा में उत्तर से दक्षिण कर दिया गया जो गलत है। लेकिन पुर्व में जहाँ इस का साबि[illegible] नक्शा ट्रेस में अंकित है उस स्थान पर नई पेमाईश में अंकित नहीं [illegible] प्रार्थी[illegible] की आराजियात के पास अन्यत्र कर दिया गया है [illegible] कराना चाहती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:39:53 IST
Reason: SelfAttested

3. प्रार्थीया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजि[illegible] जिसके नवीन आ० ना० [illegible] होकर जिसके साबिक आ० न० 58/5 रकवा 2 विघा उसी अनुसार प्रार्थीया राजस्व नक्शा में संशोधन कराना चाहती है। प्रार्थीया जहाँ मौके पर राजस्व रेकार्ड में अभी हाल ही में हुई नई पेमाईश के बाद संहवन से त्रुटि पेमाईश के समय हो गई उसे सही शुद्धीकरण मौके पर स्थित अनुसार राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीया पुर्वानुसार कराना चाहती है। इसलिए राजस्व रेकार्ड में मौके पर स्थित अनुसार राजस्व रेकार्ड में

Scanned by CamScanner

दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित हो गया है। प्रार्थीया के पति मांगीलाल का देहांत दिनांक 17/2/2018 को हो चुका है। इसलिए जानकारी होते ही यह आवेदन पत्र1/1बिना किसी देरी के प्रार्थीया की ओर से पेश करने की नौबत आई है।

4. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने मय अनुशंषा जांच रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत की जो निम्नानुसार हैः–

1. प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में ग्राम लसड़ावन के पूर्व आराजी नंबर 58/5 रकबा 2 बिघा भूमि आवंटन होना बताया जिसके नवीन आराजी नंबर 37 रकबा 0.43 हैक्टेयर है, जो प्रार्थिया के नाम दर्ज है।

2. प्रार्थीया द्वारा सेटलमेंट के पूर्व आवंटित आराजी नंबर 58/5 रकबा 2 बिघा की तरमीम सेटलमेंट के बाद के आराजी नंबर 37 रकबा 0.43 हैक्टेयर होना गलत बताया गया।

3. इस तरमीम के संबंध में सेटलमेंट से पूर्ण का नक्शा रिकॉर्ड जीर्ण शीर्ण व फटे हालत में होने से आरानी नंबरच 58 में की गयी तरमीम का मिलान संभव नहीं है।

4. तहसील में मौजूद मिलान क्षेत्रफल अनुसार सेटलमेंट के पूर्व आराजी नंबर 58 में कुल 43 आवंटियों को भूमि आवंटित हुई जिनके नये आराजी नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52 है। इसमें अधिकांश आराजी नंबर का मौका निरीक्षण किया गया जिसमें खातेदार सही स्थिति में काबिज होकर काश्त कर रहे हैं।

5. इस संबंध में प्रार्थीया अणछीबाई पत्नी मांगीलाल सालवी से तरमीम संबंधी साक्ष्य नकल आदि कोई प्रस्तुत नहीं किये गये।

6. वर्तमान रिकॉर्ड ,मौका निरीक्षण आदि का अवलोकन तथा तरमीम गलत दर्ज होने के साक्ष्य या नकल आदि पेश नहीं करने से तरमीम गलत होना उचित प्रतीत नहीं होता है।

5. दोंनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया।

6. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण [illegible] अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो [illegible]र हैः–

> *136. Correction of [illegible] Land R[illegible] Officer may, at any time, co[illegible]ected in the prescribed manner any clerical erro[illegible]nd any errors which the parties interested admit to [illegible]e been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:*

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:39:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties

7. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

8. दोनो पक्षो के अभिवचनो के आधार पर बहस उभयपक्ष सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों एवं दस्तावेजों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि प्रार्थीया के स्वामित्व आधिपत्य तथा खातेदारी की आराजियात वाके मौजा लसडावन पटवार हल्का लसडावन ताहसील निम्बाहेडा में मुल साबिक आ० न० 58 में से सम्वत् 2043 से 46 में 2 बिघा आराजी ऐलाटमेन्ट हुई जो साबिक आ० न० 58/5 रकबा 2 बिघा जिसके नवीन आराजी नम्बर 37 रकबा 0.4300 हेक्टेयर है। उक्त आराजियात में तरमीम गलत होने के संबंध में प्रार्थीगण अपने पक्ष को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 02.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(विकास पंचौली)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:39:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner